(106)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 828-पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 25-1-2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 353/15-16/अपील.

राजेश शुक्ला पुत्र केदारनाथ शुक्ला
निवासी शिवराम कोले का बाड़ा
नई सड़क लश्कर ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन जर्ये अनुविभागीय अधिकारी (ग्रामीण) ग्वालियर
2. म.प्र. शासन जर्ये कलेक्टर जिला ग्वालियर .....अनावेदकगण

श्री के.एल. राजौरिया, अभिभाषक, आवेदक
श्री अजय चतुर्वेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 20/1/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-1-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम बेरजा स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 829 में से 7650 घनमीटर बोल्डर पत्थर का अवैध उत्खनन आवेदक द्वारा किये जाने संबंधी प्रतिवेदन सहायक खनिज अधिकारी, ग्वालियर द्वारा कलेक्टर, जिला ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत करते हुए खनिज का बाजार मूल्य रूपये 5,35,5000/- एवं बाजार मूल्य का 10 गुना रूपये 53,55,000/- अर्थदण्ड प्रस्तावित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर (ग्रामीण) द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/12-13/अ-67 पंजीबद्ध कर दिनांक 7-5-15 को आदेश पारित कर आवेदक पर रूपये 21.42 लाख रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर, ग्वालियर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई ।

अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 24-2-2016 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 25-1-2017 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं:-

(1) विचारण न्यायालय व प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेश प्रकरण के तथ्यों, विधि के प्रावधानों एवं संहिता की धारा 247(7) के प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं ।

(2) खनिज अधिकारी द्वारा आवेदक के विरूद्ध संहिता की धारा 247(7) के अंतर्गत प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अर्थदण्ड प्रस्तावित किया गया है, जिस पर खनिज अधिकारी के कथन कराये जाकर, आवेदक को प्रतिपरीक्षण का अवसर दिया जाना अनिवार्य था, लेकिन खनिज अधिकारी के प्रतिवेदन को ही प्रमाणित आधार मानकर आवेदक को अर्थदण्ड से दंडित किया गया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है । इस तर्क के समर्थन में 2005 आर.एन. 107 का न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया ।

(3) संहिता की धारा 247(7) शासकीय भूमि से खनिज का अवैध रूप से उत्खनन एवं परिवहन करने का कृत्य होकर उक्त कृत्य आपराधिक (PENAL ALAUSE) श्रेणी का है, जिसे विधि के प्रावधानों एवं साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत अर्थदण्ड से दण्डित करने के पूर्व लगाये गये अवैध उत्खनन के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने का दायित्व शासन पर जाता है और दण्डादेश के पूर्व निम्न अवयव संहिता की धारा 247(7) के अंतर्गत प्रमाणित करना अनिवार्य है:- (अ) अवैध उत्खनन का स्थान एवं अवैध उत्खनन की अवधि जिसकी बीच अवैध उत्खनन किया गया है (ब) अवैध उत्खनन की मात्रा । (3) अवैध रूप से उत्खनित खनिज का बाजार मूल्य । उक्त अवयवों का अर्थदण्ड से पूर्व न तो परीक्षण ही किया गया है और न ही प्रमाणित किया गया है । फलस्वरूप काल्पनिक आधार पर विचारण न्यायालय को दंड राशि से दंडित करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है । इस तर्क में समर्थन में 1979 आर.एन. 579 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

(4) पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक के माध्यम से आवेदक के विरूद्ध संहिता की धारा 247(7) के अंतर्गत प्रस्तुत कार्यवाही को प्रमाणित करने का प्रयास किया गया है, किन्तु राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी के कथन से न तो अवैध उत्खनन के सर्वे नम्बर की भूमि, अवैध उत्खनन की अवधि और और न ही अवैध उत्खनन की मात्रा प्रमाणित है । राजस्व निरीक्षक ने अपने कथनों में उससे पूछने पर खनिज की कीमत, खनिज अधिकारी बता सकता है, उल्लेखित किया है । राजस्व निरीक्षक द्वारा किसी प्रकार के माल को जप्त करने व मौके पर अवैध खनन के माल की जानकारी होने से इंकार करता किया गया है और अवैध खनन की जानकारी खनिज विभाग को होने की बात कहा गया और उनके द्वारा मात्र सर्वे नम्बर 829 पर अतिक्रमण पाये जाने का कथन किया गया है । राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके की जांच खनिज अधिकारी द्वारा करना कथन किया है तथा वह केवल मौके का सीमांकन करना बताकर, मौके पर एक गड्ढा होना एवं मौके पर 15-30 मीटर की खुदाई होना कथन किया है, जबकि पटवारी मंजू कुशवाह मौके पर केवल अभिलेख लेकर जाना बताती है तथा शेष तथ्य को पूरी तरह से अमान्य करती है । इस प्रकार आवेदक के विरूद्ध अंकित कराई गई साक्ष्य संहिता की धारा 247(7) के अंतर्गत अवैध उत्खनन प्रमाणित नहीं है । इसके अलावा जिस राजस्व निरीक्षक जयनारायण श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 26-4-2011 को जांच प्रतिवेदन प्रेषित किया है, उन्हीं के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष उपरोक्त कथन किये गये हैं, जो कि विरोधाभासी होकर विश्वास किये जाने योग्य नहीं हैं।

(5) प्रकरण के तथ्यों एवं शासन साक्षी पटवारी मंजू कुशवाह एवं राजस्व निरीक्षक जयनारायण श्रीवास्तव के कथनों से उल्लेखित अवैध उत्खनन सर्वे क्रमांक 829 के क्षेत्र पर दर्शाया गया है और उक्त सर्वे क्रमांक का क्षेत्र आवेदक के स्वामित्व का होकर उस पर आवेदक हित में उल्लेखित खनिज का उत्खनन पट्टा स्वीकृत किया गया है । उक्त सर्वे नम्बर के किस भाग पर अवैध उत्खनन किया गया, उपलब्ध साक्ष्य से कतई प्रमाणित नहीं है । फलस्वरूप सर्वे क्रमांक 829 पर स्वीकृत किये गये उत्खनन पट्टा क्षेत्र को अवैध उत्खनन का क्षेत्र दर्शाकर आवेदक को अर्थदण्ड से दंडित करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर अवैध उत्खनन किया गया है, इस तथ्य की पुष्टि पंचनामा से होती है । यह भी कहा गया कि आवेदक को सुनवाई पक्ष समर्थन का समुचित अवसर प्रदान किया गया है, किन्तु आवेदक प्रश्नाधीन भूमि पर अवैध उत्खनन नहीं किये जाने के तथ्य को प्रमाणित नहीं कर सका है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष खनिज अधिकारी के कथन लेकर प्रतिपरीक्षण की मांग नहीं की गई है, इसलिए

आवेदक द्वारा उठाया गया उक्त आधार मान्य किये जाने योग्य नहीं है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा स्वीकृत लीज से अधिक भूमि पर अवैध उत्खनन किया जाना साक्ष्य से प्रमाणित पाये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बाजार मूल्य के चार गुना अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है, जो कि विधिसंगत आदेश है और अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश को दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा स्थिर रखने में कोई भूल नहीं की गई है । इस आधार पर कहा गया कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के विधिसंगत समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक को साक्ष्य का प्रतिपरीक्षण एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है । आवेदक द्वारा स्वीकृत लीज से अधिक भूमि पर अवैध उत्खनन नहीं किये जाने के संबंध में कोई प्रमाण अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है । अत: आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 829 में से रकबा 7650 घनमीटर अवैध उत्खनन किया जाना प्रमाणित पाये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक पर जो अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है, वह उचित है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील में अपर कलेक्टर द्वारा विवेचना उपरांत विधिसंगत आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गई है । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत द्वितीय अपील में अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर कलेक्टर द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष यथावत रखते हुए अपील निरस्त कर, आवेदक की आपत्ति इस आधार पर निरस्त की गई है कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष खनिज अधिकारी के कथनों के प्रतिपरीक्षण की मांग ही नहीं की गई है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के विधिसंगत समवर्ती निष्कर्ष हैं । इस सम्बन्ध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष-हस्तक्षेप नहीं।"

इसी प्रकार 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

उपरोक्त विश्लेषण एवं प्रतिपादित न्याय दृष्टान्तों के प्रकाश में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये निष्कर्ष वैधानिक एवं उचित हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । दर्शित परिस्थिति में आवेदक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधार अमान्य किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-1-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर